

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज0)

प्रकरण संख्या 107/2017

माधु प्रिग मेधा धाकड़ निवासी-मानगज
बनाम

- ① श्रीमा प्रिग गोपी धाकड़ निवासी-मानगज
- ② देवीलाल प्रिग चीला धाकड़ निवासी-मानगज
- ③ नंदा प्रिग दे राम बलाई निवासी-मानगज
- ④ चीला प्रिग लक्ष्मण बलाई निवासी-मानगज
- ⑤ जारा प्रिग छालू क्लार्क निवासी-मानगज
- ⑥ खाना प्रिग ओंका धाकड़ निवासी-मानगज

प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0

- आदेश :-

दिनांक-16/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री ~~माधु प्रिग मेधा धाकड़~~ ने जरिये अभिभाषक श्री ~~सांवर मल देवा~~ ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम ~~मानगज~~ 50ह0 मीटरों का खेड़ा तह0 माण्डलगढ में आराजीन0 112, 122, 131, 141, 22, 23, 241, 1131, 1151, 1181, 1201, 121 इल

किता 12 रकबा 13 बीघा — बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थ की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी सम्बत् 2070-2073 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काशतकार है। पडौसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडत है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0ए0 स्वीकार किया जाक ग्राम ~~मानगज~~ की आराजी न0 ~~112, 122, 131, 141, 22, 23, 241, 1131, 1151, 1181, 1201, 121~~ -12 रकबा 13 बीघा — बिस्वा ~~मानगज~~ की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी किये जा के आदश दिये जाते है। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है कमीशनर फीस 650 /रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। ए पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रूपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ जि-भीलवाडा